

समस्त

अपर आयुक्त ग्रेड - 1,

अपर आयुक्त ग्रेड - 2 (वि0अनु0शा0),

संयुक्त आयुक्त (वि0अनु0शा0) / उपायुक्त (वि0अनु0शा0),

राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

वाणिज्यिक क्रिया-कलापों की दृष्टि से वर्तमान माह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। दीपावली, गोवर्धन पूजा, भइया दूज एवं छठ के पर्व शीघ्र आने वाले हैं। ऐसे अवसरों पर व्यापक बिक्री के उद्देश्य से बड़ी-बड़ी कम्पनियों द्वारा अपने उत्पादों पर विभिन्न प्रकार की स्कीम घोषित की जाती है तथा मोटर व्हेकिल, दुपहिया वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, इलेक्ट्रिकल गुड्स, किराना, मेवा, मिठाई, चाकलेट, पान-मसाला, मीठी सुपारी, टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेण्ट, बर्तन, क्राकरी, गिफ्ट आइटम व अन्य एफ0एम0सी0जी0 वस्तुओं का क्रय विक्रय अन्य किसी भी माह की तुलना में इस अवसर पर अधिक होता है। ई-शॉपिंग कम्पनीज, कोरियर कम्पनियों की सक्रियता बढ़ जाती है।

इसी क्रम में दीपावली के अवसर पर विभिन्न बैंकों एवं डाकघरों द्वारा सोने / चाँदी के सिक्के / बुलियन की बिक्री एवं विभिन्न कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसेज में किराना / मेवा का भण्डारण किया जाता है। इसके अतिरिक्त थोक व बड़े व्यापारियों स्टाकिस्टों द्वारा अपने आपूर्ति केन्द्रों / गोदामों पर भी उक्त बिक्री योग्य वस्तुओं का संग्रह कर लिया जाता है। अतएव ऐसे अवसरों पर व्यापक बिक्री के दृष्टिगत करापवंचन पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु विशेष सतर्कता रखने की आवश्यकता है। इसके साथ ही फास्ट मूविंग कन्ज्यूमर गुड्स (एफ0एम0सी0जी0) का व्यापार करने वाली फर्मों की गतिविधियों पर नजर रखना आवश्यक है। बड़े पैमाने पर पटाखों एवं आतिशबाजी के सामानों की बिक्री किए जाने हेतु भण्डारण किया जा रहा है।

उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत दिनांक 17-10-2022 से 31-10-2022 तक सघन प्रवर्तन अभियान अपने निर्देशन में संचालित करते हुये जोन में कार्यरत वि0अनु0शा0 इकाईयों एवं सचल दल इकाईयों से निम्न जाँच एवं प्रवर्तन कार्य कराने की व्यवस्था करें -

1. बैंको / डाकघरों द्वारा सोने की बिक्री किए जाने, पार्सल के माध्यम से सोना / बुलियन मंगाए जाने की सूचना संकलित करते हुए एक अभियान के रूप में उनकी जाँच सुनिश्चित करें।
2. ड्राईफ्रूट्स, मिष्ठान, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, गिफ्ट आइटम्स, कलाथ, टेक्सटाइल तथा रेडीमेड गारमेंट्स, बर्तन, पटाखे एवं आतिशबाजी के थोक व्यवहारियों की जांच एवं कोल्ड स्टोरेज / वेयरहाउसेज की सूचना एकत्र उसकी प्रभावी जांच कराये।
3. वर्तमान में ई-कामर्स संबंधी सम्व्यवहारों पर उनके द्वारा डाउनलोड किये जा रहे ई-वे बिल के दृष्टिगत आन-लाइन हो रहे सम्व्यवहारों की जांच कारायी जाये।
4. सचलदल इकाईयों को भी सतर्क करते हुए उपरोक्त कर योग्य वस्तुओं से सम्बंधित अधिक से अधिक संख्या में वाहनों को जाँच एवं बिल संग्रहण का कार्य कारायी जाये।

कृत कार्यवाही से संबन्धित जांच की प्रगति रिपोर्ट मुख्यालय के वि0अनु0शा0 एवं सचल दल अनुभाग को ई-मेल के माध्यम से संलग्न प्रारूप में प्रतिदिन उपलब्ध कराये। उपरोक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कारायें।

(मिनिस्ती एस0)

आयुक्त, राज्य कर
उत्तर प्रदेश

फेस्टिवल सीजन दिनांक: 17-10-2022 से 31-10-2022 तक किए गए कार्य की प्रगति रिपोर्ट-

वि0अनु0शा0 इकाईयों द्वारा व्यापार स्थल / गोदाम / कोल्ड स्टोरेज / वेयर हाउस की जांच से संबन्धित

क्र०सं०	व्यापार स्थल / गोदाम / कोल्ड स्टोरेज / वेयर हाउस / जांच की संख्या	जांच पर पायी गयी करापवंचित वस्तुओं का नाम	प्रथम दृष्टया जांच पर पाया गया अनुमानित अपवंचित टर्नओवर / दोषी (रु० लाख में)	जमा करायी गयी धनराशि (रु० लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6

सचल दल इकाईयों द्वारा की जांच से संबन्धित

क्र०सं०	जांच किए गए वाहनों / ट्रांसपोर्टरों की संख्या	वस्तुओं का नाम	दोषी पाये गए वाहनों की संख्या	अभग्रहीत माल का मूल्य (रु० लाख में)	जमा कराई गयी जमानत की धनराशि (रु० लाख में)
1	2	3	4	5	6